


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 136/2022 बउनवानी बी.एस.शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर निवासी,32ए राजबिहार कॉलोनी, राजकीय कन्या महाविद्यालय के पास, सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/225

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
6.12.2022	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 11.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. यह है कि श्रीमान जी के आदेश से तहसील सवाईमाधोपुर में सत्र 1993 से 2011 तक खसरा नम्बर 254/3116 में से किन किन को कितनी कितनी भूमि, होटल, पेट्रोल पम्प एवं चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु भूमि किस किस व्यक्ति/संस्था को उपलब्ध करवायी गयी है। नाम एवं पूर्ण पते सहित प्रति उपलब्ध करावे।</li> <li>2. यह कि यह खसरा नम्बर 254/3116 किस किस की श्रेणी में आता है भूमि किस की प्रति उपलब्ध करावे।</li> <li>3. यह है कि ख0न0 254/3116 में किन किन व्यक्तियों को उप पंजीयक स0मा0 द्वारा पट्टा विलेख उपलब्ध करवाया गया है। जारी किये गये आदेशों से पट्टा विलेख की प्रति उपलब्ध करावे।</li> </ol> <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।</p> <p>नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं हुआ। दौरान सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक भू.अ./2022/8900 दिनांक 29.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 11.7.2022 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 में चाही गयी सूचना के संबंध में जरिये पत्रांक 1773 दिनांक 22.9.2022 से अपीलान्त को अवगत कराया गया कि बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना प्रश्नात्मक होने तथा पूर्ण विवरण अंकित नहीं होने तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना उनके कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण अपीलान्त को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।</p> <p>पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 11.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 में चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक है एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा ग्राम का नाम अंकित नहीं होने के कारण उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। बिन्दु संख्या 3 की सूचना के लिए प्रथम अपील अधिकारी, उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग भरतपुर है। इसलिए बिन्दु संख्या 3 की सूचना के संबंध में इस न्यायालय स्तर पर कोई आदेश दिया जाना न्याय संगत नहीं है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तक खिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।</p> <p style="text-align: right;">               (सुरेश कुमार ओला)              जिला कलेक्टर              सवाई माधोपुर         </p>